

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

अवमानना (दीवानी) वाद संख्या 231 / 2021

दिगंबर चरण श्रीवास्तव

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य

.... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: सुश्री लोकेश्वरी बनर्जी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री रिशू रंजन, अधिवक्ता।

04 / 06.08.2021 याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री लोकेश्वरी बनर्जी तथा राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रिशू रंजन को सुना।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस याचिका पर सुनवाई की गई है।

दोष संख्या—5 को नजरअंदाज किया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया है और वह उस आदेश को चुनौती देना चाहती हैं क्योंकि सम्पूर्ण शिकायत पर विचार नहीं किया गया है।

श्री रिशू रंजन, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया है और आदेश का अनुपालन किया गया है।

इस अवमानना याचिका को, याचिकाकर्ता को उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है, यदि ऐसा है तो सलाह दी जाती है।

निष्पादित किया गया।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया०)